महत्वपूर्ण

सं. 854 /नौ-7-14-27ज./2004टी.सी.

प्रेषक

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र.।
5. समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 06 जून, 2014

विषयः सम्भावित सूखें की स्थिति से उत्पन्न पेयजल समस्या के समाधान एवं सफाई व्यवस्था के संबंध में कार्यवाही।

महोदय,

गर्मी की भीषणता, बढ़ते तापमान एवं गिरते भूजल स्तर के कारण प्रदेश के नगरीय निकायों में कई स्थानों पर पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन परिस्थितियों से संबंधित कारणों एवं समस्याओं का तत्काल प्रभावी ढंग से निराकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है ताकि जन-सामान्य को पेयजल की उपलब्धता बनी रहे। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की सम्भावित समस्याओं से निपटने हेतु एक प्रभावी कार्य योजना के तहत स्थानीय नागर निकायों/जल निगम/जल संस्थान को तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिये जल निगम, जल संस्थान व नागर निकायों के फील्ड स्तरीय अधिकारियों को न केवल दक्षता एवं कुशलता के साथ कार्य करना है, वरन् जन-सामान्य की पेयजल की आवश्यकता के प्रति सजग व संवेदनशील रहने की भी आवश्यकता है।

2. पेयजल की समस्या के निदान हेतु ट्यूबवेलों व हैण्डपम्पों की मरम्मत तथा पीने के पानी की पाइप-लाइनों से संबंधित कार्यो को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की जाय। इस संबंध में पूर्व प्रकाशित दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ताकि उपयुक्त गुणवत्ता का जल नागरिकों को उपलब्ध हो सकेः-

so.nagarvikas@gmail.com

(1) प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम द्वारा नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की सम्भावित समस्या से निपटने हेतु प्रभावी कार्य योजना के तहत कार्य सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु जल निगम के फील्ड स्तरीय अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्य सर्वोच्च वरीयता पर कराने के निर्देश भी तत्काल प्रस्तारित कर दिये जायें।

(2) मण्डल स्तर पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मण्डलायुक्त नगर आयुक्तों, अधिशासी अधिकारियों, जिलाधिकारियों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इस हेतु प्रभावी रणनीति तैयार कर लें तथा उसकी साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित की जाय। इसी प्रकार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी संबंधित स्थानीय निकायों के अध्यक्षों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार करेंगे तथा उसकी साप्ताहिक समीक्षा करते हुए समुचित पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

(3) जनपद स्तर पर पेयजल संबंधी समस्याओं के संकलन तथा उनके त्वरित समाधान हेतु कन्ट्रोल-रूम खोला जाय। यह कन्ट्रोल-रूम नगर निगम/जल संस्थान अथवा कलेक्ट्रेट में खोला जाय। कन्ट्रोल रूम 24 घंटे चलाने के साथ ही कन्ट्रोल रूम से फोन नं0, ई-मेल व समय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

(4) नगरीय क्षेत्र के समस्त टयूबवेल चालू हालत में रखे जायें तथा बन्द पड़े टयूबवेलों को ठीक कराकर चालू किया जाय। पेयजल की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा जनपद स्तर पर जल निगम के अधिकारियों के साथ करके उन्हें पूर्ण कराया जाये, जिससे योजनायें कार्यशील हो सकें व उनका लाभ जन-सामान्य को प्राप्त हो सके। उल्लेखनीय है कि कतिपय जनपदों में टयूबवेल्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा विद्युत संयोजन हेतु धनराशि जमा होने के बाद भी पॉवर कारपोरेशन द्वारा संयोजन की कार्यवाही नहीं हो सकी है, जिसके कारण नलकूप चालू नहीं हो सके हैं। ऐसे नलकूपों को चिन्हित कर स्थानीय स्तर पर मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी का सहयोग प्राप्त कर तत्काल विद्युत संयोजन कराकर उन्हें चालू कराया जाय।

(5) नगरीय क्षेत्र में हैण्डपम्पों के रख-रखाव का दायित्व संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थान का है। अतः संबंधित निकाय इसका वित्त पोषण अपने संसाधनों से करें तथा बन्द पड़े हैण्डपम्पों को तत्काल चालू करायें।

(6) नगरीय क्षेत्र के पूर्व निर्मित कुओं की सफाई कर इनमें क्लोरीनेशन की व्यवस्था कर इनका पानी पीने योग्य बनाया जाय।

(7) शहरों में किसी भी हालत में पानी का संकट न होने दिया जाये। पानी की कमी वाले स्थलों पर टैंकर से पानी की सप्लाई की जाये। जनपद स्तर पर

विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध पानी के टैंकरों का पूल बनाकर कमी वाले क्षेत्रों में टैकरों द्वारा यथा आवश्यकता पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। आश्यकतानुसार निजी टैंकरों के प्रयोग हेतु उनकों अनुबंधित करने तथा किराये की दरों के निर्धारण की कार्यवाही पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाय।

(8) पेयजल संयत्रों यथा-टयूबवेल एण्ड वाटर वर्क्स को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर आवश्यकता पड़ने पर जनरेटर के माध्यम से संयत्र चलाये जाने की व्यवस्था की जाय।

(9) शहरों, बाजारों में नगरीय निकायों के माध्यम से प्याऊ लगवाये जायें। इस कार्य में स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाय।

(10) समुचित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये हैण्डपम्प व टयूबवेल के स्पेयर पार्टस जल संस्थान/नगरीयनिकाय द्वारा रखे जायें।

(11) नगरीय क्षेत्रों के तालाबों की सफाई सुनिश्चित कर इन्हें टयूबवेल अथवा नहर के पानी से भर दिया जाये जिससे पशुओं को पीने के पानी की उपलब्धता बनी रहे।

(12) पेयजल व्यवस्था सूचारू करने के लिये बिजली विभाग एवं सिंचाई विभाग से पूरी मदद ली जाये। अगर शहरों में जल स्रोत के लिये पानी की जरूरत पड़े तो उसे सिंचाई विभाग मुहैय्या करायेगा।

(13) शहरों में पानी की सभी टंकियों को एक सप्ताह के अन्दर सफाई करवाकर उनसे स्वच्छ जल की आपूर्ति करायी जाये। पाइप के जरिये हो रही जलापूर्ति के दौरान बहुत सी जगहों पर वॉटर लीकेज होने से बहुमूल्य पेयजल बर्बाद होता है, जिसे तत्काल रोकने के प्रभावी उपाय किये जायें।

3. दैवी आपदा राहत निधि या अन्य स्रोतों से जो धनराशि पेयजल व्यवस्था हेतु स्वीकृत की गयी है, उसकी उपयोगिता जिलाधिकारी के माध्यम से तत्काल सुनिश्चित की जाय।

4. बुन्देलखण्ड एवं विंध्याचल क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या विशेष रूप से विकराल रूप धारण कर लेती है। उक्त क्षेत्र में प्रत्येक दशा में पानी की समुचित व्यवस्था नलकूपों, हैण्डपम्पों, टैंकरों व अन्य माध्यमों से सुनिश्चित की जाय।

5. नालों एवं नालियों की सफाई का कार्य प्रत्येक दशा में तत्काल पूर्ण करा लिये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या-517/नौ-7-14-27ज./04, दिनांक 10 अप्रैल, 2014 द्वारा दे दिये गये हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त निर्देशों के क्रम में अपेक्षित सफाई पूर्ण कर ली गयी होगी। यहॉ पुनः उल्लेखनीय है कि नालों एवं नालियों की सफाई के समय निकलने वाले सिल्ट एवं कूड़े-कचरे को तत्काल उठाकर समुचित स्थान पर न डाले जाने से सफाई पर हुआ व्यय निष्फल हो जाता है और नागरिकों को वर्षा के दौरान जल निकासी न होने के कारण जल भराव की समस्या से

जूझना पड़ता है। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि निर्धारित अवधि में नालों एवं नालियों की सफाई का कार्य पूर्ण करते हुए निकाले गये सिल्ट एवं कूड़े-कचरे को तत्काल हटा दिया जाय। उक्त कार्य के भुगतान से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय कि सफाई के दौरान निकलने वाले सिल्ट/कूड़े-कचरे को हटाकर निर्धारित स्थल पर डाल दिया गया है। उक्त निर्देशों के क्रम में दलित व मलिन बस्तियों में नालों/नालियों की सफाई व कूड़े-कचरे के निस्तारण हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

6. पेयजल और सफाई व्यवस्था के संबंध में स्थलीय निरीक्षण के दौरान निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता परिलक्षित होने पर संबंधित पर्यवेक्षणीय अधिकारी के विरूद्ध संगत प्रभावी नियमों के अधीन कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ.प्र., शासन।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. पॉवर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस संबंध में उक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुए अपने स्तर से समस्त नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें व निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करें।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
5. निजी सचिव, मा. नगर विकास मंत्री एवं निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री नगर विकास विभाग को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ।
6. नगर विकास अनुभाग-5/9
7. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ नगर विकास विभाग की वेब-साइट पर डालने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
04/3/2014
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

so.nagarvikas@gmail.com